

## प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।
3. वित्तीय रिपोर्टिंग का अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बद्धित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।
4. विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सांविधिक नियमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।